भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 213/2016 दायरा दिनांक : 18.11.2016

उनवान

भैरू लाल आत्मज नानूराम, जाति भील, निवासी करणपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– श्रीमती राधा बाई पत्नी लटूर, जाति मेघवाल, निवासी करणपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2– श्रीमती सुगना बाई पुत्री लटूर, जाति मेघवाल, निवासी करणपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3– बजरंग आत्मज लटूर, जाति मेघवाल, निवासी करणपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4– राजू लाल आत्मज लटूर, जाति मेघवाल, निवासी करणपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़

6– भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन वृत्त झालावाड़ जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

उपस्थित – श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री इकबाल अहमद अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 25.07.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 179/दावा/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम करणपुरा, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ की जमाबंदी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या नई 45 पुरानी 39 खसरा नम्बर 233/2 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 289/2 रकबा 4 बीघा कुल 2 किता की कुल रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा आराजी स्थित है, जिसके सम्बन्ध में विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 ने एक राजस्व वाद नम्बर 179/2013 अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 अपीलांट तथा रेस्पोडेंट नम्बर 5, 6 के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसमें अपीलांट ने श्रीराम सिंह मण्डलोई अभिभाषक को अपना अभिभाषक मुकर्रर कर पैरवी करने बाबत वकालतनमा दिया, किन्तु उनके अनुपस्थित रहने से अपीलांट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई । रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 के अनुपस्थित रहने के बावजूद, बिना शपथ पर साक्ष्य लिये अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय एवं डिक्री खिलाफ अपीलांट बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पारित कर दी गयी जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है । अपीलांट अभिभाषक ने एक प्रार्थना आर्डर 41 नियम 5 तथा धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश किया गया । अपील में

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक तरफा है, मनमाना है, परवर्स है, केप्रिसियस है तथा अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अभियान 2015 के प्रकाश में कानून के खिलाफ इस प्रकरण को दिनांक 03.07.2015 को कैम्प श्री छत्रपुरा में रखा गया किन्तु वहां पर वादीगण तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 3 अनुपस्थित रहे जिस कारण पुनः राजस्व लोक अदालत कैम्प मुख्यालय भवानीमण्डी पर दिनांक 28.07.2015 को रखा गया, जिसके बाबत अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई जिस कारण प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के विरूद्ध प्रकरण संख्या 179/2013 का निर्णय दिनांक 28.07.2015 को ही करते हुए रेस्पोडेंट के खिलाफ आराजी संख्या 233/2 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम करणपुरा, तहसील पचपहाड़ इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कर दी कि अपीलांट उक्त आराजी पर जबरन बेजा मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं करें और न किसी अन्य से करवावे तथा दौराने वाद उक्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त पाया जावे तो अपीलांट को बेदखल कर कब्जा दिलवाया जावे। यह निर्णय एवं डिक्री मनमाना है, परवर्स है, केप्रिसियस है और अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के खिलाफ रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 4 का वाद डिक्री किया है जबकि रेस्पोडेंट नम्बर 1 से 4 दिनांक 28.07.2015 को अनुपस्थित रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य पर भी कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2015 अपास्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 11.01.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षीय अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया और अपीला स्वीकार करने की प्रार्थना की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 233/2 रकबा 2.16 बीघा वाके ग्राम करणपुरा, तहसील पचपहाड़ के रेस्पोडेंट्स 1 लगायत 4 रेकार्डेड खातेदार टीनेन्ट हैं जो रेस्पोडेंट्स के कब्जे काश्त व खाते में लगातार चली आ रही है । अपीलांट गैर कानूनी तरीके से रेस्पोडेंट को जमीन से बेदखल करने पर आमादा हैं जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है । रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आराजी खसरा नम्बर 233/2 वाके ग्राम करणपुरा, तहसील पचपहाड़ के सम्बन्ध में एक राजस्व वाद अपीलांट प्रतिवादी के विरूद्ध पेश कर स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत दावा रजिस्टर्ड करके प्रतिवादी अपीलांट के सम्मन जारी किये । प्रतिवादी अपीलांट की ओर से उसके अभिभाषक हाजिर आये, किन्तु प्रतिवादी के द्वारा किसी प्रकार का जवाब पेश नहीं किया और प्रतिवादी के अभिभाषक भी उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण से प्रतिवादी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । प्रतिवादी ने एकपक्षीय कार्यवाही को हटाने बाबत कोई कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में नहीं की । बाद में अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर बहस सुनी और अधीनस्थ न्यायालय ने विश्लेषण की कोई आवश्यकता

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पा.
स्टेनो-(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

प्रकरण में उचित नहीं समझी तथा प्रकरण को फैसले के लिए लोक अदालत केम्प छत्रपुरा में दिनांक 03.07.2015 को रखा गया और एक बार फिर प्रतिवादी को अपना पक्ष पेश करने के लिए नोटिस जारी किये, किन्तु नोटिस की तामील होने के बावजूद प्रतिवादी अपीलांट अदालत में उपस्थित नहीं हुआ जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने फैसले के लिए दिनांक 28.07.2015 को पत्रावली भवानीमण्डी केम्प में रखी गयी और न्याय हित में पत्रावली पर आयी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित की है, जो विधिवत व सही है और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है एवं अपील सारहीन है । अपीलांट ने यह अपील मियाद बाहर पेश की है। अपीलांट प्रतिवादी द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2015 के 8 माह पश्चात् दिनांक 05.02.2016 को पेश की गई है और जो अपील मियाद के बाहर है क्योंकि अपील में देरी की वजह यह बतायी गई है कि पटवारी द्वारा निर्णय जैर अपील की सूचना देने पर उन्हें सूचना मिली है, जबकि अपीलांट ने अपनी मेमो ऑफ अपील में यह स्वीकार किया है कि दावा पेश होने पर उसको सम्मन की तामील हुई और उसकी ओर से श्री रामसिंह मण्डलोई वकील का वकालतनामा दिया गया, किन्तु बाद में वकील व प्रतिवादी के हाजिर नहीं होने से एक्सपार्टी अमल में लायी गयी है, जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को दावे की पूर्ण जानकारी थी और निर्णय जैर अपील की भी जानकारी थी, किन्तु उन्होंने अपनी अपील में देरी का जो कारण दर्ज किया है एवं स्पष्टीकरण दिया है वह रीजनेबल नहीं है जिस कारण अपील मियाद के बाहर होने से खारिज फरमायी जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण दिनांक 28.07.2015 को फैसले के लिए निश्चित किया गया था, जिस कारण वादीगण का न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं था और पक्षकारों की अनुपस्थिति में फैसला सुनाया जा सकता है जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

दिनांक 28.07.2015 को पारित निर्णय जैर अपील विधि अनुसार बिल्कुल सही है और इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट प्रतिवादी सारहीन होने एवं मियाद बाहर होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की जानकारी होते हुए भी अपील देरी से प्रस्तुत की है जैसा कि अपीलांट ने अपनी मेमो ऑफ अपील में यह स्वीकार किया है कि दावा पेश होने पर उसको सम्मन की तामील हुई और उसकी ओर से श्री रामसिंह मण्डलोई वकील का वकालतनामा दिया गया, किन्तु बाद में वकील व प्रतिवादी अपीलांट के हाजिर नहीं होने से एक्सपार्टी अमल में लायी गयी है, जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को दावे की पूर्ण जानकारी थी । अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/7/2022
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रमेश बहादुर सिंह पाल
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अंज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

भैरू लाल आत्मज नानूराम, जाति भील, निवासी करणपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड

.....**अपीलान्ट्स**

बनाम

1– श्रीमती राधा बाई पत्नी लटूर, जाति मेघवाल, निवासी करणपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2– श्रीमती सुगना बाई पुत्री लटूर, जाति मेघवाल, निवासी करणपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़

3– बजरंग आत्मज लटूर, जाति मेघवाल, निवासी करणपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4– राजू लाल आत्मज लटूर, जाति मेघवाल, निवासी करणपुरा, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़

6– भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन वृत्त झालावाड़ जिला झालावाड़

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 213/2016 एवं
मु.द.नं0 179/दावा/2013

नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी**
निर्णय व डिक्री दिनांक – 28.07.2015

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 01 माह 07 सन् 2022

हाजरी **श्री बी एल माहेश्वरी** अभिभाषक मिनजानिब अपीलान्ट एवं श्री इकबाल अहमद अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 4 की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.15 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 25 माह 07 सन् 2022 को जारी किया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)